

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

Rename Subdistrict

Published By

Name SANTOSH KUMAR DEWANGAN
Designation Additional Commissioner
Mobile no. 9425253589
IP Address 117.198.8.58
On date 17/05/2024

Proposed By

Name ARVIND SINGH
Designation ASST PROGRAMMER
Mobile no. 9575081711
IP Address 10.132.213.12
On date 16/05/2024

District Name	Mohla Manpur Ambagarh Chouki
Old Subdistrict Name(In English)	Ambagarh
New Subdistrict Name(In English)	Ambagarh Chouki
Subdistrict Name (In Local language)	अम्बागढ़ चौकी
Subdistrict Effective Date	01/09/2023

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 543]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 10, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 सितम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-37/2021/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार जिला राजनांदगांव की सीमाओं को परिवर्तित, नवीन जिला “मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी” को सृजित तथा उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	संभाग	नवीन जिला	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन जिला की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजनांदगांव	दुर्ग	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	जिला राजनांदगांव के उप-खण्ड-मोहला एवं मानपुर तथा तहसील मोहला, मानपुर, औंधी, खड़गांव एवं अंबागढ़ चौकी को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला “मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी” का सृजन।	उत्तर- तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव। दक्षिण- तहसील दुर्गकोदल एवं पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। पूर्व - तहसील डौण्डी एवं डौण्डी-लोहारा, जिला बालोद। पश्चिम- महाराष्ट्र राज्य की सीमा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 1st September 2022

NOTIFICATION

No. F 11-37/2021/Seven-4. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of district Rajnandgaon, creates a new district "Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki" and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely:-

SCHEDULE

S. No.	District	Division	New District	Nature of change	Boundaries of new District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rajnandgaon	Durg	Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki	Creation of new district "Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki" by inclusion of Sub-Division-Mohla and Manpur and Tahsil Mohla, Manpur, Aundhi, Khadgaon and Ambagarh Chouki of Rajnandgaon district.	North - Tahsil – Chhuriya, District-Rajnandgaon. South - Tahsil-Durgkondal and Pakhanjur, District-Uttar Baster-Kanker. East - Tahsil - Dondi and Dondi-Lohara, District Balod. West - Maharashtra State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.